

भारतीय संविचान में राष्ट्रोन्यन प्रक्रिया

• संविचान राष्ट्रोन्यन की प्रक्रिया → समय के साथ संविचान के प्रावचानों का संबोधन होता रहना चाहिए, अन्यथा वह घबर जानी सकेगा। प्रकृति से संविचान नमनशील आ जानीला हो जाता है, संबोधन पुणाली का प्रावचन होता है। यदि वह पुणाली सरल है, तो उपनी प्रकृति से संविचान नमनशील आ जानीला होता है। संबोधन का बिल संसद से साम्यारण बहुमत से पास होकर कानून बन जाता है। संबोधन का बिल संसद से साम्यारण बहुमत से पास होकर संसद द्वारा निर्मित साम्यारण आ निम्न विधि में अन्तर नहीं होता। बिहिशि संविचान इसका शेष उदाहरण है यदि वह संबोधन पुणाली बहुत कठिन है तो उपनी प्रकृति से संविचान कठोर हो जाता है।

• संविचान की संशोधन पुणाली का छाप्यानन करने से भह विधित होता है कि इसमें जनीलापन व कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। इसके कुछ प्रावचानों को संसद साम्यारण बहुमत से बिल पास करके बहुत सकती है तो किसी ऐसा बिल द्वानों सहनों में विशेष बहुत से कम छाप्यानों का समर्थन भी मिलना चाहिए, आपकी की अतीत संविचान की प्रमुख विशेषताएँ

इसंविचान की छाप्यानी विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें द्विवक्तव्य तुलना सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ बात भारत के संविचान के बारे में कही जा सकती है। हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है।